

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/पैरामेडि./एम.सी./2019

रीवा, दिनांक :

आवेदन की अंतिम तिथि : 05.10.2019

काउन्सिलिंग तिथि : 15.10.2019

प्रकाशनार्थ विज्ञप्ति (सत्र 2019-20)

स्वशासी श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा में वर्ष 2019-20 के लिये निम्नलिखित पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन उपयुक्त उम्मीदवारों के आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 05.10.2019 तथा पाठ्यक्रम चयन हेतु काउन्सिलिंग दिनांक 15.10.2019 को प्रातः 09:30 बजे से एनाटामी लेक्चर हॉल, चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में होगी।

क्र.	पाठ्यक्रम एवं सीट	प्रशिक्षण अवधि	कुल सीट	विभागीय सीट	ओपन सीट
1	Medical Lab. Technician (Diploma)	02 वर्ष	40	04	36
2	Paramedical Ophthalmic Assistant (Diploma)	02 वर्ष	25	03	22
3	X-Ray (Radiographer) Technician (Diploma)	02 वर्ष	50	05	45
4	Dialysis Technician (Diploma)	02 वर्ष	10	01	09
5	Ortho. Technician (Certificate)	01 वर्ष	30	03	27
6	Cyto. Technician (Certificate)	01 वर्ष	10	01	09
7	E.C.G. Technician (Certificate)	01 वर्ष	10	01	09
8	Anaesthesia Technician (Certificate)	01 वर्ष	10	01	09

उपरोक्त सभी पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटों पर शासन के नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(EWS) के छात्रों को आरक्षण दिया जावेगा, एवं इन सभी श्रेणियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा।

शर्तें :-

1. आवेदन-पत्र के साथ अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी रु. 500/- तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी रु. 300/- का बैंक ड्राफ्ट जो कि "CEO & Dean, S. S. Medical College, Rewa" के नाम देय हो जमा करना होगा। यह राशि किसी भी हालत में वापस नहीं होगी।
2. आवेदक की आयु 31 दिसम्बर 2019 को 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
3. शैक्षणिक योग्यता छात्र को 10+2 पद्धति से हायर सेकण्ड्री भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान विषय के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को न्यूनतम 40 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिये 33 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य होगा।
4. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु महिलाओं एवं निःशक्तजनों को आरक्षण का लाभ म.प्र. शासन के नियमानुसार दिनांक 05 जुलाई 2017 को प्रकाशित म.प्र. राजपत्र (असाधारण) के अनुसार देय होगा।
5. आरक्षण वर्ग के उम्मीदवार को काउंसिलिंग के समय सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. आवेदक को म.प्र. का मूल निवासी होना चाहिए। काउंसिलिंग के समय सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त निवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. काउंसिलिंग के लिये दैनिक भत्ता तथा यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

8. उम्मीदवारों को काउंसिलिंग में उपस्थिति दर्ज कराते समय रू. 5000/- (पांच हजार) का बैंक ड्राफ्ट जो कि “CEO & Dean, S. S. Medical College, Rewa” के नाम देय हो जमा करना अनिवार्य होगा। ड्राफ्ट के अभाव में उम्मीदवार काउंसिलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा। सीट आवंटित ना होने की स्थिति में ड्राफ्ट उम्मीदवारों को वापस कर दिया जावेगा। सीट आवंटन की स्थिति में शेष फीस की राशि 15 दिवस के अंदर ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करनी होगी नहीं तो उनका प्रवेश निरस्त माना जावेगा तथा जमा की गई राशि रू. 5000/- (पांच हजार) वापस नहीं की जावेगी।

प्रशिक्षण शुल्क का विवरण :-

पाठ्यक्रम	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष
2 वर्षीय डिप्लोमा	43,670 (रू. 38,670/- शैक्षणिक शुल्क + रू. 5,000/- सुरक्षा निधि)	रू. 38,670/-
1 वर्षीय प्रमाणपत्र	32,930 (रू. 27,930/- शैक्षणिक शुल्क + रू. 5,000/- सुरक्षा निधि)	-

9. सभी पाठ्यक्रमों के लिये एक ही आवेदन-पत्र, जिसका प्रारूप दिया गया है, देय होगा। पाठ्यक्रम का आवंटन आवेदक के हायर सेकण्ड्री (10+2) के मैरिट के अनुसार वर्ग में उपलब्ध सीटों पर काउंसिलिंग के द्वारा किया जावेगा। काउंसिलिंग की प्रक्रिया दिनांक 05 जुलाई 2017 को प्रकाशित म.प्र. राजपत्र (असाधारण) के अनुसार अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार से प्रारम्भ की जावेगी एवं सीट भरने तक जारी रहेगी। यदि फिर भी सीटें रिक्त रह जाती हैं, तो यह सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों से भरी जावेगी। अनुसूचित जाति के पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर रिक्त सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों से भरी जावेगी। तत्पश्चात रिक्त सभी सीटें अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से भरी जावेगी। **काउंसिलिंग की तारीख 15.10.2019 तथा समय प्रातः 09 : 30 बजे** से नियत है इसकी सूचना अलग से नहीं दी जावेगी। काउंसिलिंग का मतलब प्रवेश कदापि नहीं होगा। प्रवेश विभिन्न वर्गों में उपलब्ध सीटों के अनुसार मैरिट के आधार पर होगा।
10. स्वशासी श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय के अन्तर्गत पैरामेडिकल पाठ्यक्रम नियमित एवं पूर्णकालिक है। पैरामेडिकल पाठ्यक्रम के शैक्षणिक के दौरान किसी भी अन्य पाठ्यक्रम में अध्ययन करने की पात्रता नहीं होगी। इस आशय का शपथ-पत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. विभागीय कर्मचारियों के लिये शासन के नियमानुसार 10% सीटें आरक्षित रहेंगी। विभागीय कर्मचारियों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र केवल संचालक स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. भोपाल/संबंधित संस्था के प्रमुख का ही मान्य होगा। विभागीय कर्मचारी न होने पर उन्हें आरक्षित सीटें संबंधित वर्ग के उम्मीदवारों से भरी जायेंगी। जिस पाठ्यक्रम में पांच से कम छात्र प्रवेश लेते हैं, ऐसे पाठ्यक्रमों को संचालित कराना संभव नहीं होगा। ऐसे छात्र अपनी जमा शुल्क वापस ले सकते हैं अथवा अन्य पाठ्यक्रम के रिक्त सीट में मेरिट के आधार पर प्रवेश ले सकते हैं।
12. विज्ञप्ति सीटों की संख्या परिस्थितियों के अनुसार बढ़ाई/घटाई जा सकती है।
13. न्यायालयीन परिवादों के निराकरण का कार्यक्षेत्र जिला न्यायालय रीवा होगा।
14. प्रवेश के समय स्थानान्तरण एवं माइग्रेशन प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करना अनिवार्य होगा। मूल स्थानान्तरण तथा माइग्रेशन प्रमाण-पत्र के अभाव में प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा तथा काउंसिलिंग के समय जमा राशि रू. 5,000/- (पांच हजार) मात्र वापिस नहीं की जावेगी। छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क, नामांकन शुल्क एवं संस्था द्वारा निर्धारित सम्बद्धता शुल्क रू. 3,700/- (सैंतीस सौ) मात्र पृथक से देय होगा।
15. प्रवेश के समय अभिभावक के आय प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जो तहसीलदार द्वारा जारी की गई हो जमा करना अनिवार्य होगा।

16. काउंसिलिंग दिनांक को समस्त उम्मीदवारों को प्रातः 10:30 बजे निम्न दस्तावेजों की मूलप्रति तथा 02 सेट स्वप्रमाणित छायाप्रति तथा 10 पासपोर्ट साइज फोटो (जो आवेदन पत्र में चस्पा की गई हो) लाना अनिवार्य होगा। किसी भी दस्तावेज की मूलप्रति न होने पर काउंसिलिंग प्रक्रिया से वंचित करने का अधिकार प्रवेश समिति का रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से उम्मीदवार की होगी:-

- I. 10वीं की अंकसूची (जन्मतिथि प्रमाण हेतु) तथा प्रमाण पत्र
- II. 12वीं की अंकसूची(भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान विषय के साथ) तथा प्रमाण पत्र
- III. स्थानांतरण प्रमाण पत्र
- IV. प्रवर्जन प्रमाण पत्र
- V. जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग हेतु)
- VI. अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को आय प्रमाण पत्र (वित्तीय वर्ष 2019-20 का)
- VII. ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
- VIII. दिव्यांग प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।
- IX. 10 पासपोर्ट साइज फोटो।
- X. विभागीय कर्मचारियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।

टीप :- आवेदन-पत्र का प्रारूप संलग्न है।

मुख्यकार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता,
स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

पैरामेडिकल पाठ्यक्रम हेतु आवेदन का प्रारूप शैक्षणिक सत्र 2019-20

नवीनतम
पासपोर्ट साइज
फोटो चस्पा करें

प्रति,

मुख्यकार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता,
स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

डिमाण्ड ड्राफ्ट क्रमांक	दिनांक	राशि

1. Name of Candidate in Capital Letter :
आवेदक का नाम स्पष्ट अक्षरों में (हिन्दी में) :
2. लिंग (पु./म.) :
3. Category (श्रेणी) : SC/ST/OBC/ UR
4. Name of Father in Capital Letter : Shri
पिता का नाम (हिन्दी में) : श्री
पिता का व्यवसाय : वार्षिक आय :
5. Name of Mother in Capital Letter : Smt.
माता का नाम (हिन्दी में) : श्री
माता का व्यवसाय : वार्षिक आय :
6. जन्म तिथि (Date of Birth) : अंको में - (dd/mm/yyyy)
शब्दों में -
7. Permanent full address in capital letter :
.....Pin Code :
पूर्ण स्थाई पता (हिन्दी में) :
..... पिन कोड :
8. वर्तमान पता पिन कोड सहित :
9. आवेदक का मोबाइल नम्बर : (1).....(2).....
आवेदक की ई-मेल आई.डी. :आवेदक के पिता का मोबाइल नं. :
10. आवेदक का आधार कार्ड नं. :
आधार कार्ड नं. (पिता) : (माता):
11. क्या आवेदक म.प्र. का मूल निवासी है? : (हां/नहीं)
12. क्या आवेदक शासकीय सेवारत कर्मचारी है? : (हां/नहीं)

13. शैक्षणिक योग्यता (Educational Qualification) :-

Exam Passed	Board	Roll No.	Passing Year	Subjects	Total Marks	Out of Marks	Percentage
1	2	3	4	5	6	7	8
12 th				Physics			
				Chemistry			
				Biology			
				Total (PCB)			
				Total (All Subject)			

// घोषणा-पत्र //

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन-पत्र में दी गई समस्त जानकारी एवं संलग्न दस्तावेज पूर्णतः सत्य है। सत्यापन पश्चात् दी गई जानकारी एवं दस्तावेज असत्य पाए जाने पर मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही इस संस्था में प्रवेश के पश्चात् अन्य किसी संस्था/विश्वविद्यालय में किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लूंगा और ना ही अध्ययन करूंगा और ना ही अन्य संस्था से शासन द्वारा किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता का लाभ प्राप्त करूंगा। यदि मेरे द्वारा ऐसा किया जाता है, तो मेरे खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है एवं प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा, जिसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा। उक्त पाठ्यक्रम हेतु निम्नलिखित दस्तावेज जमा किये जा रहे हैं :-

क्र.	दस्तावेज	हां/नहीं/लागू नहीं (अभ्यर्थी द्वारा पूर्ण किया जावे)
1	रु. 500 का डिमाण्ड ड्राफ्ट	
2	10वीं बोर्ड परीक्षा अंकसूची की छायाप्रति।	
3	12वीं बोर्ड परीक्षा अंकसूची की छायाप्रति।	
4	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी म.प्र. के मूल/स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की छायाप्रति	
5	सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र/ई.डब्ल्यू.एस. प्रमाणपत्र की छायाप्रति। (आरक्षित संवर्ग हेतु)	
6	वर्ष 2019 में जारी आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति (आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु)	
7	आधार कार्ड की छायाप्रति	
8	मूल नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र (सेवारत अभ्यर्थी हेतु)	

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदक के हस्ताक्षर

(कार्यालयीन उपयोग हेतु)

सरल क्र. 01 से 08 में उल्लेखित संबंधित अभ्यर्थी के दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। परीक्षण उपरांत
..... पैरामेडिकल पाठ्यक्रम की काउंसिलिंग प्रक्रिया हेतु पात्र हैं।

अथवा

निम्नलिखित दस्तावेजों के अभाव में अपात्र घोषित किये जाते हैं:-

- | | |
|---------|---------|
| 1. | 2. |
| 3. | 4. |

हस्ताक्षर परीक्षण समिति :-

- | | | |
|----|----|----|
| 1. | 2. | 3. |
|----|----|----|